न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 150/2022 तारीख रजू:—30.06.2022

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. सुफेदी पुत्री हरिमोहन पत्नी अशोक बगै0 जाति जाटव निवासी बंध का नंगला, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली राजस्थान
2. सावित्री पुत्री दौजी पत्नि मोहनलाल जाति जाटव निवासी भापले गांव बदरेटा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली राज0 ———— सायलान

बनाम

1.	जीतेन्द्र पुत्र हरीमोहन	जाति जाटव निवासी गांवडी
2.	रूकमणी पत्नि हरिमोहन	
3.	बत्तू पुत्र नरोतिया	तहसील श्रीमहावीरजी
4.	शांति पुत्री नरोतिया	
5.	निहालो पत्नि धर्मसिंह	जिला करौली राजस्थान

6. तहसीलदारजी तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
7. सुनीता पत्नि जमनीलाल जाति जाट निवासी गावंडी मीना तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राजस्थान———————— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः—1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायलान
2. श्री पी.एल. गोयल एडवोकेट गैरसायल सं0 7

निर्णय

दिनांक :—27/08/2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि सायलान ने इस सम्मानीय अदालत हाजा में गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवानी दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है। जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 1434 रकवा 16 ऐअर, ख0नं0 1435 रकवा 20 ऐअर, 1436 रकवा 16 ऐअर, ख0नं0 1437 रकवा 16 ऐअर, ख0नं0 1439 रकवा 10 ऐअर स्थित ग्राम गांवडी तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान बहिस्सा 1/3 व गैरसायल सं0 1 व 2 बहिस्सा 1/6, गैरसायल सं0 3 व 4 हिस्सा 1/3 व गैरसायल सं0 5 बहिस्सा 1/6 के खातेदार काश्तकार है, और मौके पर इसी अनुसार काबिज है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि सायलान व गैरसायल सं0 1 व 2 एक ही परिवार के व्यक्ति है। जिनका सजरा निम्न प्रकार से है:–

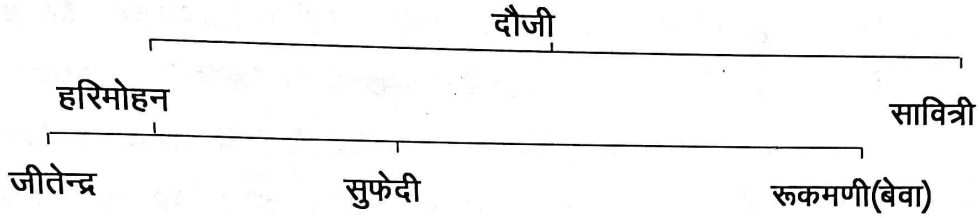

प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि आराजी वर्णित मद नं 2 प्रार्थना पत्र को सायलान व गैरसायलान मौके पर अपने अपने हिस्से पर काबिज है और उसी अनुसार मौके पर काश्त करते चले आ रहे है। किन्तु अब सायलान व गैरसायलान के परिवारों में आपसी सामंजस्य का अभाव होने के कारण आये दिन मौके की डोल मेड व रकवे को लेकर विवाद होता रहता है। जिस कारण उक्त आराजीयात को अब सायलान द्वारा शामिल में काश्त किया जाना संभव नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 24.05.2022 को सांय करीब 4 बजे का है कि सायलान अपने हिस्से की आराजीयात की साल संभाल करने मौके पर आ गये , तो गैरसायलान सायलान की डोल मेड को तोडने का प्रयास कर रहे थे जब सायलान द्वारा इस बाबत आपत्ति की तो गैरसायलान ने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी तो हम तुम्हारी डोल को ही तोड रहे हैं आगे हम किसी डण्डे वाले व्यक्ति को इस जमीन का बेचान कर देंगे फिर वो तुम्हारी हिस्से की जमीन पर भी कर लेगा, और तुम्हें काश्त नहीं करने देगा। इस पर सायलान द्वारा गैरसायलान से कहा कि यदि तुम्हें तुम्हारे हिस्से की जमीन का बेचान करना है, तो पहले तुम उक्त आराजीयात पर विधिक रूप से बंटवारा करवा लो, फिर तुम अपने हिस्से की आराजीयात का बेचान कर देना, किन्तु गैरसायलान द्वारा बदयांतिवश उक्त आराजीयात का विधिक रूप से बंटवारा करवाने से इन्कार कर दिया और बिना विधिक रूप से बंटवारा करवाने से इन्कार कर दिया और बिना विधिक रूप से उक्त आराजीयात का बंटवारा करवाये उक्त आराजी को बेचान की धमकी दी। इसलिये दावा व संबंधित प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं0 6 में दर्ज हुआ है कि अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबें में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी होना संभव नहीं हो सकेगी, जबकि गैरसायलान को पाबंद फरमाने से उन्हें कोई क्षति किसी भी प्रकार की नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 7 में दर्ज हुआ है कि इस तरह प्राईमाफेसी केश व सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा ता फैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान सायलान के हिस्से की आराजीयात में किसी प्रकार से कोई मजाहमत मदाखलत नहीं करे। सायलान को जबरन उनके हिस्से से बेदखल नहीं करे। सायलान को शांतिपूर्वक उनके हिस्से की आराजी को काश्त करने देवे और ना ही किसी अन्य दीगर व्यक्ति को रहन वय करें तथा सायलान को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करे, जिससे हकूक वादीगण/सायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुचें। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 01.08.2022 को गैरसायल सं. 1 ता 4 की ओर से श्री राजूलाल एडवोकेट ने उपस्थिति दर्ज कराई। दिनांक 08.04.2025 को प्रतिवादी सं. 1 ता 6 उपस्थित नहीं हुए इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। गैरसायल सं07 प्रार्थना पत्र ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी का स्वीकार होने पर पक्षकार बनी है। गैरसायल सं0की ओर से श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज है कि प्रार्थना पत्र के मद नं0 01 में दर्ज सायलान द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध उपरोक्त उनवानी दावा हाजा माननीय न्यायालय में पेश करना सही है, लेकिन उसमें सायलान को सफलता मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।

जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज है कि प्रार्थना पत्र के मद नं0 02 में दर्ज खसरा नम्बर 1434, 1435, 1436, 1437, 1439 कुल किता 05 कुल रकवा 78 ऐयर, वाके ग्राम गांवडी, तहसील श्रीमहावीरजी स्थित होना सही है तथा उक्त आराजी में सायलान बहिस्सा 1/3 व गैरसायल नम्बर 02 का उक्त आराजी में कोई 1/6 हिस्सा नहीं है और ना ही गैरसायल नम्बर 01 का उक्त आराजी में 1/12 हिस्सा है तथा गैरसायल नम्बर 03 व 04 हिस्सा 1/3 तथा गैरसायल नम्बर 05 हिस्सा 1/6 की काश्तकार मुताबिक जमाबंदी है, गैरसायल नम्बर 02 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/12 तथा गैरसायल नम्बर 01 ने अपने 1/12 हिस्से का 11/13 भाग जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गैरसायल नम्बर 07 को दिनांक 13.06.2022 को विक्रय कर उसका कब्जा करा दिया, इस प्रकार उक्त मद के अनुसार गैरसायल नम्बर 01 व 02 का उक्त मद में दर्ज हिस्सा नही है तो ऐसी स्थिति में उक्त हिस्से के अनुसार गैरसायल नम्बर 01 व 02 भूमि पर काबिज व दखील होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, बल्कि योम खरीद से उक्त हिस्से पर गैरसायला नम्बर 07 काबिज व दखील है, प्रार्थना पत्र सायलान अनक्लीनहैण्ड से पेश होने से खारिज होने योग्य है।

जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं0 03 में दर्ज है कि प्रार्थना पत्र के मद नं0 03 में सजरा गलत होने से अस्वीकार है।

जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं0 04 में दर्ज है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 04 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। सायलान द्वारा उक्त मद में मुताबिक प्रार्थना पत्र गैरसायल नम्बर 01 व 02 का अपने हिस्से के अनुरूप विवादित आराजीयात पर काबिज बताया है, जबकि मुताबिक विक्रय पत्र योम खरीद से गैरसायल नम्बर 01 व 02 से खरीदशुदा हिस्से पर गैरसायला नम्बर 07 काबिज व दखील है तथा सायलान द्वारा उक्त सम्पूर्ण स्थिति की जानकारी होने और गैरसायला नम्बर 07 के विक्रय पत्र का पूर्ण इल्म होने के उपरान्त भी बसाज परिवारजन अर्थात अन्य गैरसायलान उक्त खरीद के आधार पर गैरसायला नम्बर 07 के नामांतकरण को रूकवाने की गरज से उक्त वाद/प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सम्पूर्ण तथ्यों व गैरसायला नम्बर 07 के विक्रय पत्र को छिपाते हुए पेश किया है, ऐसी स्थिति में गैरसायलान का डौलमेंड़ के सम्बंध में सायलान से विवाद होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, प्रार्थना पत्र सायलान बेसूद होने से खारिज किये जाने योग्य है।

जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं0 05 में दर्ज है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 05 गलत है व अस्वीकार है। दिनांक 24.05.2022 को उक्त मद में वर्णित कोई वाका किसी प्रकार का मौके पर नहीं हुआ, ना ही उक्त मद में वर्णित कोई वार्तालाप हुआ। उक्त मद में सम्पूर्ण इबारत महज कॉज ऑफ एक्शन लेने की गरज से और सायलान के गैरसायला नम्बर 07 के नामांतकरण को रूकवाने की गरज से अल्टीरियर मोटिव से दुर्भावनापूर्वक दावा/प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दायर किये हैं, जो खारिज हाने योग्य है।

जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं0 06 में दर्ज है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 06 गलत है व अस्वीकार है। गैरसायलान के कोई गैरकानूनी मंसूबे नहीं है तो उनके उनमें कामयाब होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ऐसी स्थिति में सायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है, यदि गैरसायलान को पाबन्द फरमाया दिया गया तो उन्हें अत्यधिक

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

क्षति है, जबकि पाबन्द नहीं करने से सायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है, प्रार्थना पत्र सायलान खारिज होने योग्य है।

जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं0 07 में दर्ज है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 07 गलत व अस्वीकार है। प्राइमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में ना होकर गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

उज्रात मजीद

जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं0 08 में दर्ज है कि सायलान ने मैटेरियल तथ्यों को छिपाकर अनक्लीनहैण्ड से दावा/प्रार्थना पत्र दायर किये हैं, इसलिए सायलान कानूनन साम्यकी कोई दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, प्रार्थना पत्र सायलान खारिज होने योग्य है।

जबाब प्रार्थना पत्र के मद नं0 09 में दर्ज है कि गैरसायल नम्बर 02 व 03 के मन में आराजीयात मुतदाविया में अपने हिस्से को गैरसायला नम्बर 07 को जरिये रजिस्टर्ड सैलडीड विक्रय करने के उपरान्त भूमि को हड़पने के उद्देश्य से अपने परिवारजन सुफेदी व सावित्री के साथ मिलकर वयनामा के तथ्य को छिपाते हुए गैरसायला नम्बर 07 को पक्षकार न बनाते हुए उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर अन्तरिम स्थगन प्राप्त की है, जिसकी जानकारी गैरसायला नम्बर 07 के होने पर उसने प्रकरण में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया, इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात पर गैरसायल नम्बर 02 व 03 का कोई कब्जा नहीं है और ना ही कानूनन वह उक्त भूमि के खातेदार रहे हैं, उक्त स्थिति में प्रार्थना पत्र सायलान अनक्लीनहैण्ड होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायलान मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070 –73 पेश की है।

इसके विपरीत वकील गैरसायल सं07 ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.06.2022 उनवानी जीतेन्द्र पुत्र हरिमोहन, रूकमणी पत्नि हरिमोहन जातियान जाटव निवासी गांवडी तहसील श्रीमहावीरजी बहक श्रीमती सुनीता देवी धर्म पत्नि श्री जमनीलाल जाटव जाति जाटव निवासी गांवडी मीना तहसील श्रीमहावीरजी पेश की है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायल सं07 ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं. 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1434 रकबा 0.16 है0, 1435 रकबा 0.20 है0, 1436 रकबा 0.16 है0, 1437 रकबा 0.16 है0, 1439 रकबा 0.10 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.78 है0 वाके ग्राम गांवडी तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी जीतेन्द्र पुत्र हरिमोहन हि0 1/12, निहालो पत्नि धर्मसिंह हि0 1/6, बत्तू पुत्र नरोतिया हि0 1/6, रूकमणी पत्नि स्व0 हरिमोहन हि0 1/12, शान्ति पुत्री नरोतिया हि0 1/6, सुफेदी पुत्री हरिमोहन हि0 1/12, सावित्री पुत्री दौजी हि0 1/4 जातियान जाटव सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

वकील गैरसायल सं07 की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.06.2022 उनवानी जीतेन्द्र पुत्र हरिमोहन, रूकमणी पत्नि हरिमोहन जातियान जाटव निवासी गांवडी तहसील श्रीमहावीरजी– विक्रेतागण प्रथमपक्ष बहक श्रीमती सुनीता देवी धर्म पत्नि श्री जमनीलाल जाटव जाति जाटव निवासी गांवडी भीना तहसील श्रीमहावीरजी– क्रेती द्वितीय पक्ष के हक में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1434 रकबा 0.16 है0, 1435 रकबा 0.20 है0, 1436 रकबा 0.16 है0, 1437 रकबा 0.16 है0, 1439 रकबा 0.10 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.78 है0 वाके ग्राम गांवडी तहसील श्रीमहावीरजी में निहित विक्रेता क्रमांक 1 जीतेन्द्र ने अपना हिस्सा 1/12 का 11/13 भाग की आराजीयात को तथा विक्रेता क्रमांक 2 रूकमणी ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/12 की आराजीयात को क्रेती द्वितीय पक्ष श्रीमती सुनीतादेवी को विक्रय किया गया तथा समस्त विक्रय धन राशि चूकती प्राप्त करके विक्रीत भूमि पर कब्जा वाकई मौके पर क्रेती द्वितीय पक्ष को संभलाना अंकित किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1434 रकबा 0.16 है0, 1435 रकबा 0.20 है0, 1436 रकबा 0.16 है0, 1437 रकबा 0.16 है0, 1439 रकबा 0.10 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.78 है0 वाके ग्राम गांवडी तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान एवं गैरसायल सं01,3 ता 5, 7 रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं तथा रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने के कारण संयुक्त

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भू–भाग पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जाता है। इस प्रकार सायलान एवं गैरसायल सं01,3 ता 5, 7 उक्त विवादित आराजीयात में रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने के कारण सायलान गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द कराने की अधिकारी साबित नहीं है। सायलान का प्रथम दृष्टया केस साबित नहीं है और गैरसायलान को पाबन्द नहीं किये जाने से सायलान को कोई अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी साबित नहीं होता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन ही सायलान के पक्ष में साबित है। बल्कि उक्त तीनों बिन्दु पृथम दृष्टया केस, अपूतर्नीय क्षति का बिन्दू एवं सुविधा का सन्तुलन गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1434 रकबा 0.16 है0, 1435 रकबा 0.20 है0, 1436 रकबा 0.16 है0, 1437 रकबा 0.16 है0, 1439 रकबा 0.10 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.78 है0 वाके ग्राम गांवडी तहसील श्रीमहावीरजी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 29/8/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर 29/8/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली